संख्या-18/2021/669/22-2-2021-17(1052)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2021***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2021) के अवसर पर जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1778/पर-1/23/2019, दिनांक 23.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.06.1997 को पुरानी रंजिश के कारण 02 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/1998 में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर के आदेश दिनांक 16.06.2007 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बन्दी द्वारा योजित प्रार्थना-पत्र विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-1041/2015 आदेश दिनांकित 16.02.2015 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यब्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- अवगत कराना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल द्वारा बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार की सलाह के आधार पर ही लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मा0 राज्यपाल को प्रेषित की जाने वाली समयपूर्व रिहाई करने या न करने सम्बन्धी सलाह न सिर्फ आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति सम्बन्धी स्थायी नीति दिनांकित 01.08.2018 के अनुसार अपितु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित समीचीन विधि व्यवस्थाओं, दण्डादेश का सम्यक परिशीलन तथा बन्दी द्वारा कृत अपराध की प्रकृति उसे करने का तरीका बन्दी की अपराधिक पृष्ठभूमि तथा उसकी समयपूर्व रिहाई का समाज पर प्रभाव आदि अनेकों सुसंगत मानकों पर आधारित होती है।

4- कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-1778/पर-1/23/2019, दिनांक 23.01.2021 द्वारा शासनादेश संख्या- 564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-2 (ख) में निहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यब्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित प्रस्तर-2(ख) में स्पष्टतया प्राविधानित है कि पुरूष सिद्धदोष बन्दी का अपराध यदि धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी नियम से आच्छादित हो उसका दण्ड लघुकृत करते हुए उसे रिहा नहीं किया जायेगा। अग्रतर उल्लेखनीय है कि धारा-3 की प्रतिबन्धात्मक श्रेणी के नियम-14 में पेशेवर हत्यारे जो भाडे पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों, उनका दण्ड लघुकृत करना निषिद्ध है।

5- बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में लोक हित में पीडित पक्ष अर्थात सत्र परीक्षण संख्या-142/1998 में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 के वादी के प्रत्यावेदन तथा गोरखपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर की आख्या एवं वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती की आख्या का समुचित परिशीलन किया गया।

6- पीड़ित पक्ष श्री सुभाष दूबे पुत्र श्री माता प्रसाद दूबे, निवासी-मोहल्ला रेलवे स्टेशन रोड, थाना-कैन्ट जनपद-गोरखपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2020 एवं दिनांक 28.12.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त बंदी ने माफिया डान श्रीप्रकाश शुक्ला के साथ उनके दो सगे भाईयों की हत्या की है। उक्त बंदी को श्रीप्रकाश शुक्ला गैंग का शातिर अपराधी एवं समाज के लिए अभिशाप बताते हुए समयपूर्व रिहाई न किये जाने का अनुरोध पीड़ित पक्ष द्वारा किया गया है।

7- उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत बंदी के अपराध से संबंधित सम्पूर्ण विवरण, पीड़ित पक्ष की आपत्ति तथा इस घटना के अन्तर्गत जो गम्भीर तथ्य हैं, के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर की प्राप्त आख्या के अनुसार बन्दी के विस्तृत अपराधों का विवरण निम्नवत है:-

सत्यव्रत राय पुत्र दानबहादुर राय निवासी-बेलवा बुजुर्ग थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर हाल पता सिचाई कॉलोनी मोहद्दीपुर थाना-कैन्ट जनपद-गोरखपुर(एच0ए0 नं0-15ए)				
क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	अन्य
1	कैन्ट	398/95	323, 307, 504, 506 भादवि	-
2		970/97	323, 504 व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट	-
3		**1311/97**	**302**, 452, 506 भादवि	-
4		1925/97	3/4 गुण्डा अधिनियम	-
5		2158/97	506 भादवि	-
6		410/01	504, 506 भादवि	-
7		910/06	110जी द0प्र0सं0	-
8		1539/06	147, 148, 149, **302**, 120बी भादवि व 7 सीएल एक्ट	-
9	खोराबार	252/2000	216, 506 भादवि	-
10		583/2000	307 भादवि	-
11		670/13	**302**, 201, 120बी भादवि	-
12		543/14	3/25 आर्म्स एक्ट	-
13	गगहा	111/2000	395, 397 भादवि	-
14	बखिरा सन्तकबीर नगर	796/05	**302**, 307, 120बी, 506 भादवि	-
15	महानगर लखनऊ	432/97	365, 368 भादवि	-
16		471/97	3/25 आर्म्स एक्ट	-
17		80/98	3/4 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह स्वत: स्पष्ट है कि बन्दी न सिर्फ प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित अपराध सं0-1311/97 थाना-कैन्ट, गोरखपुर में दोहरे हत्या काण्ड का सिद्धदोष बन्दी है अपितु उसके विरूद्ध थाना-कैन्ट, गोरखपुर में 1539/06 अन्तर्गत धारा-302, थाना- खोराबार में अपराध सं0-670/13 धारा-302 तथा थाना-बखीरा-सन्तकबीरनगर में अपराध सं0-796/05 अन्तर्गत धारा-302 भी पंजीकृत हैं, जो यह दर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं कि सिद्धदोष बन्दी एक पेशेवर हत्यारा है।

8- उक्त के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर की आख्यानुसार वादी श्री माता प्रसाद दूबे पुत्र स्व0 रामअवध दूबे निवासी हाल पता-जी0डी0ए0एच0 ब्लाक, स्टेशन रोड, थाना-कैन्ट, जनपद-गोरखपुर मूल पता ग्राम-बेलाखुर्द, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वह 80 वर्ष उम्र दराज व्यक्ति है उनके दो पुत्र अशोक दूबे एवं दानबहादुर दूबे की सत्यव्रत राय, श्रीप्रकाश शुक्ला आनन्द पाण्डेय एवं राजीव तिवारी उर्फ बब्लू द्वारा गोली मारकर 21 जून 1997 को नृसन्स पूर्वक हत्या कर दी गयी थी। उनके पुत्र श्री सुभाष दूबे द्वारा ही वर्तमान समय में मुकदमें की पैरवी आदि की जाती है तथा दूसरा पुत्र योगेश दूबे कृषि कार्य करता है तथा अपराधी सत्यव्रत राय आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है। उक्त अपराधी का निवास स्थान पीड़ित पक्ष के गांव से सटा गांव बेला बुजुर्ग है, यदि वह जेल से बाहर आयेगा तो उनकी व उनके पुत्रों की हत्या करवा सकता है।

9- उक्त के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुभाष दूबे पुत्र श्री माता प्रसाद दूबे निवासी जनपद-गोरखपुर से भी जानकारी ली गयी। उनके द्वारा भी अपने पिता के कथनों का समर्थन करते हुए अनुरोध किया गया । सिद्धदोष अपराधी सत्यव्रत राय मुठभेड़ में मारे गये अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला का साथी रहा है, जब भी पैरवी हेतु न्यायालय या कहीं जाता हूँ तो मुझे डर एवं भय बना रहता है। मेरे दो भाईयों की जघन्य हत्या कर दी गयी थी, जिससे हम उभर नहीं पाये हैं। उक्त के अलावा प्रश्नगत बंदी के विरूद्ध अन्य मुकदमें हत्या जैसे जघन्य अपराध के वर्तमान में जनपद-न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसके पीड़ित पक्ष न्याय के आशा में हैं वह भी अपने-अपने मुकदमों में न्याय पाने से वंचित रह जायेगें। इस प्रकार वादी तथा उसके परिजनों को बन्दी से भय के तथ्य तथा आम जनमानस पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई के प्रतिकूल प्रभाव की प्रबल सम्भावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

10- प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बंदी सत्यव्रत राय पुत्र दानबहादुर राय निवासी जनपद-गोरखपुर माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। उक्त अपराधी के जेल से बाहर आने पर नये सदस्यों के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपहरण, डकैती, लूट हत्या जैसे जघन्य अपराधों को संगठित रूप से करवा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आख्या से यह भी स्पष्ट है कि बन्दी उपरोक्त के विरूद्ध थाना-महानगर जनपद-लखनऊ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग अपराध सं0-80/1998 धारा-2/3 गैंगेस्टर अधिनियम में मा0 न्यायालय द्वारा बन्दी व उनके 02 सहअभियुकतों बबलू तिवारी उर्फ राजीव तिवारी, राजेश्वर सिंह प्रधान उर्फ राजू तथा अजय कुमार शाही को धारा-3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम के अधीन दोषी पाकर दो-दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दिनांक 11.05.2006 को दण्डित किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत बंदी पूर्व में भी जब-जब जेल से बाहर आया है तब-तब हत्या से जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है। यदि उक्त शातिर अपराधी जेल से बाहर आता है तो पुन: किसी जघन्य घटना की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

11- उक्त तथ्यों की पुष्टि वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती की आख्या दिनांक 26.01.2021 से भी हो रही है, जिसके अनुसार बन्दी द्वारा स्वयं यह अवगत कराया गया है कि वह दिनांक 01.10.2012

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से 22.08.2014 तक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एस0टी0 सं0-142/1998 के अन्तर्गत धारा-452,**302,506** भा0द0सं0 की सजा में स्वीकृत जमानत पर होना बताया गया है। इस दौरान उस पर मुकदमा अपराध सं0-670/2013 धारा-302, 201, 34, 120बी भा0द0सं0 थाना खोराबार, गोरखपुर को वाद अभिलेखों में दर्ज होना पाया गया। उक्त आख्या के साथ संलग्न निगरानी प्रविष्टि दिनांक 05.07.2019 में भी बन्दी की अवैध गतिविधियों व असामान्य व्यवहार एवं बर्ताव तथा उनके शातिर और पेशेवर अपराधी होने का कथन अंकित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त बन्दी द्वारा उक्त जमानत पर बाहर रहने की अवधि में थाना-खोराबार में एक अन्य अपराध सं0-543/14 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत होना पूर्वोक्त उल्लिखित आपराधिक इतिहास तालिका से भी स्पष्ट होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 की आख्या दिनांक 11.11.2020 में उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त नामित बन्दी की निरूद्धि अवधि विवरण की तालिका से भी उपरोक्त तथ्य समर्थित हैं। इस प्रकार यह पुष्ट होता है कि दोहरे हत्या काण्ड का सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पेशेवर हत्यारों के गिरोह का सदस्य है और उसके विरूद्ध हत्या जैसे संगीन अपराधों के 04 अभियोग दर्ज होना यह स्थापित करता है कि बन्दी का प्रकरण स्थायी नीति दिनांकित 01.08.2018 की धारा-3 की प्रतिबन्धात्मक श्रेणी से आच्छादित है।

12- न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-10), गोरखपुर द्वारा सत्र परीक्षण सं0-142/1998 सरकार बनाम सत्यव्रत राय एवं अन्य अन्तर्गत धारा-302, 452,506 भा0द0वि0 थाना-कैन्ट, गोरखपुर में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2007 में यह निर्णीत किया गया है कि अभियोजन कथानक संदेश से परे साबित है जिसके अनुसार दिनांक 21.06.1997 को रात 9:15 बजे को अभियुक्त सत्यव्रत राय तथा राजीव कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, शिव प्रकाश शुक्ला तथा आनन्द पाण्डेय के साथ एक राय होकर सफेद मारूति जिप्सी से आये और वादी के घर में घुसकर आग्नेयास्त्र से अशोक कुमार द्विवेदी तथा जान बचाकर भागते दान बहादुर द्विवेदी की खड़जे पर आग्नेयास्त्र से हत्या कर दी। इस प्रकार यह संदेह से परे सिद्ध है कि दोहरे हत्या काण्ड का सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पेशेवर हत्यारों के श्रीप्रकाश शुक्ला गिरोह का सदस्य है और उसके विरूद्ध 17 अभियोग, जिनमें हत्या जैसे संगीन अपराधों के 04 अभियोग दर्ज होना यह स्थापित करता है कि बन्दी का प्रकरण स्थायी नीति दिनांकित 01.08.2018 की धारा-3 की प्रतिबन्धात्मक श्रेणी के नियम-14 से आच्छादित है।

13- उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दी का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है तथा वह दोहरे हत्याकाण्ड के अभियोग के साथ-साथ पेशेवर अपराधी गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगेस्टर अधिनियम में भी क्रमश: आजीवन कारावास तथा दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा चुका है। बन्दी एक पेशेवर अपराधी है जिसके विरूद्ध विभिन्न नृशंस हत्याकाण्डो को अंजाम देने के अभियोग विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। कारागार में निरूद्धि की अवधि के दौरान भी उसके असामान्य बर्ताव एवं संदिग्ध गतिविधियों के भी साक्ष्य हैं। बन्दी समाज के लिये एवं विभिन्न अभियोगों के साक्ष्यों एवं पीडितों के लिये गम्भीर खतरा है। बन्दी द्वारा अन्जाम दिये गये लोमहर्षक दोहरे हत्या काण्ड की प्रकृति तथा तरीका, जिसमें कि बन्दी द्वारा पेशेवराना तरीके से अपने पेशेवर हत्यारे साथियों के साथ जिस प्रकार वादी के एक पुत्र की घर में घुस कर गोली मारकर हत्या की गयी तथा जान बचाकर भागते हुए उसके दूसरे पुत्र को सरेराह खड़ंजे पर गोली मारकर हत्या की गयी, इन सुविचारित एवं नृशंस हत्या का तरीका यह दर्शाता है कि बन्दी के हृदय में मानव जीवन के प्रति दया एवं श्रद्धा का कोई भाव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के हृदय में मानव जीवन के प्रति दया न हो उसके प्रति राज्य द्वारा किसी भी दया का कोई औचित्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- अत: उपर्युक्त परिस्थितियों एवं व्यापक जनहित तथा स्थापित विधि व्यवस्था के दृष्टिगत मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय (बन्दी संख्या-266/2018) पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई औचित्यपूर्ण न पाते हुए सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-18/2021/669(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।